



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062025-263787  
CG-DL-E-13062025-263787

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2561]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2561]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2025

का.आ. 2625(अ).— केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	श्री सतीश.के.वी.बिन वेंकटेश के.एल. (सिल्क रीलर)	कर्नाटर सरकार की अनुशंसा पर अधिनियम की धारा 4(3)(घ) के तहत नामित
2.	श्री ननजुनदास्वामी बिन सोमन्ता (रेशम उत्पादन किसान)	
3.	श्री एम.आर.शिवान्ता बिन रमन्ता (रेशम उत्पादन किसान)	

[फा. सं. 25011/17/2019-सिल्क]

पदमिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2025

**S.O. 2625(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following persons to serve as Members of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S.No.	Name	Section of the Act
1.	Shri Satish. K.V Bin Venkatesh K.L. (Silk Reeler)	Nominated on the recommendation of Govt. of Karnataka under Section 4(3) (d) of the Act.
2.	Shri Nanjundaswamy Bin Somanna (Sericulture Farmer)	
3.	Shri M.R.Shivanna Bin Ramanna (Sericulture Farmer)	

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.